राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमाक –ई–18 / एम / डीपीसी / व सहा / एफ–277 / 2019 /   दिनांक –

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई–18 / एम / डीपीसी / व.सहा / 16 / 212 दिनाक 05.04.16 के द्वारा कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक पद की वर्ष 2014–15 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने हेतु राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के अतर्गत गठित विभागीय पदौन्नति समिति की अभिशंषा दिनांक 06.04 16 के आधार पर श्री शीतल शर्मा कनिष्ठ सहायक को वर्ष 2014–15 की रिक्तियो के विरूद्व वरिष्ठ सहायक के पद पर चयन उपरात इनके विरूद्व विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण इनके चयन का परिणाम सीलबन्द लिफाफे मे रखा गया।

निदेशालय के आदेश क्रमांक सीबी / एम एस / एफ–1065 / 2019 / 2598 दिनांक 24 09 19 के द्वारा श्री शीतल शर्मा के विरूद्व शिकायत मनगढंत एवं बेबुनियाद होने के फलस्वरूप प्रकरण को प्राथमिक स्तर पर समाप्त किया गया।

अत श्री शीतल शर्मा कनिष्ठ सहायक, कार्यालय महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर के विरूद्व प्रकरण समाप्त हो जाने के परिणामस्वरूप इनका सीलबन्द लिफाफा खोलते हुए वरिष्ठ सहायक के पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर चयन कर पदोन्नत किया जाता है।

श्री शीतल शर्मा के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेगें तत्पश्चात पदोन्नति पर अपनी उपस्थिति सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगे।

(मुकुल शर्मा)
अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

क्रमाक –ई–18 / एम / डीपीसी / व.सहा / एफ–277 / 2019 / 190   दिनाक:– 27/9/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– अधीक्षक, महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर।

2– अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (अराजपत्रित अनुभाग) / गोपनीय अनुभाग राजपत्रित, मुख्यालय।

3– संबधित को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी के।

4– प्रभारी अधिकारी सर्वर रूम, मुख्यालय।

5– रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर